न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
प्रार्थना –पत्र नम्बर 24/2024
अनवान पृथ्वीराज बनाम भगवन्ती देवी
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आरटीए

पृथ्वीराज पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

बनाम

1 भागवन्ती देवी पत्नी मनफूलराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया।
2 राजेन्द्र पुत्र मनफूलराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया।
3 विजयसिह पुत्र मनफूलराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया।

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम चक 12 एसबीएन खाता संख्या 62/41 में प.न. 170/204 मु.न. 75 किला नं. 24,25/0.506 व प.न. 170/205 मु.न. 81 किला नं. 3, 4, 5, 7, 8, 16, 17 व पं.न. 171/205 मु.न. 80 किला नं. 10, 11 कुल 2.783 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिस पर प्रार्थी मौका पर काविज है। जिसमे आने–जाने के लिए अर्थात आवागमन के लिए कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से प्रार्थी अपनी आराजी में सही ढ़ंग से काश्त नहीं कर सकता प्रार्थी को अपनी आराजी में आने–जाने/काश्त करने के लिए मन्जूर शुदा रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कृषि भूमि में से चक 12 एसबीएन प.न. 170/205 मु.न. 81 किला नं. 24 मे से पश्चिमी दिशा में उतर–दक्षिण लम्बा 0.026 है. (साईज 16.5 फुट **X** 165 फुट) रास्ता स्वीकृत कर इसी अनुसार चालु करवाना हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। लेकिन भगवन्ती देवी पत्नी श्री मनफुलराम की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1045 दिनांक 15.01.2025 द्वारा प्रार्थी के पास कोई स्थाई रास्ता नही है। प्रार्थी अपने पडौसी काश्तकारों के खेतों मे से होते हुए अपने खेत में जाता है। अप्रार्थीगण रास्ते के बदले भूमि देने व प्रतिकर की रकम पर भी रास्ता देने हेतु सहमत नही है एव प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता होना बतलाते हुए निकटतम दूरी का रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की है। तथा अपनी दूसरी रिपोर्ट में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के रकबा एक समान सम्मतल नही होना व अप्रार्थीगण के रकबे से चिपता प्रार्थी का रकबा ऊचा होना बतलाया।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट स्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है ब्कि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 51 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक स्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट्तया प्रकट होता है कि र्थीगण की कृषि भूमि चक 12 एसबीएन में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते ा अभाव होने से रास्ते की आत्यंधिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं पितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए ारटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 12 एसबीएन प.न. 170/205 मु.न. 81 किला नं. 24 े से पश्चिमी दिशा में उतर–दक्षिण लम्बा 0.026 है. (साईज 16.5 फुट **X** 165 फुट) रास्ता स्वीकृत किया जाता है और इसके बदले में प्रार्थी का किला नम्बर 16,17 मे से उक्तानुसार रकबा कम कर किला नं. 24,25 के चिपता अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। तथा प्रार्थी अपने खर्चे पर अपने रकबे को अप्रार्थीगण के रकबे के एक समान/बराबर/समस्थल करवाकर अप्रार्थीगण को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिशिचित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 28.3.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner